

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

क्रमांक संख्या :-103/2018 (2018/00462)

दर्ज दिनांक 04.07.2018

अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

मोहिनुदीन वल्द नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. गुलाब नबी वल्द गफुर अहमद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. लाल मोहम्मद वल्द गफुर अहमद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती महमूदा बानू पुत्री गफुर अहमद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 06, रायपुर रोड़ गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. श्रीमती मरियम बानू पुत्री गफुर अहमद मुसलमान पत्नी मुनीर मोहम्मद मेवाती निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा हाल मुकाम डाणियों की कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
5. श्रीमती जन्नत बानू पुत्री गफुर अहमद पत्नी सलीम मोहम्मद मुसलमान निवासी आतर मजरा बड़ी सादड़ी तहसील सादड़ी जिला चितौड़गढ़
6. श्रीमती संजिदा बानू पुत्री गफुर अहमद पत्नि जाकिर हुसैन मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा हाल मुकाम डाणियों की कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
7. लियाकत अली वल्द सत्तार मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. बशीर मोहम्मद वल्द सत्तार मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. श्रीमती ताहिरा बेगम पुत्री सत्तार मोहम्मद मुसलमान पत्नि अहमद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम दड़ोली तहसील डबोक जिला उदयपुर
10. श्रीमती हसीना बेगम पुत्री सत्तार मोहम्मद पत्नि रफीक मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15 गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम बिगोद तहसील जिला भीलवाड़ा।
11. श्रीमती आमना बेगम पुत्री सत्तार मोहम्मद मुसलमान पत्नि मोहिनुदीन मुसलमान निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. श्रीमती सरीफन बेगम पत्नी सत्तार मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी:- श्री जगदीश चन्द्र व्यास

प्रतिवादीगण सं0 01, 02, 07 लगायत 12 :- श्री यासीन मोहम्मद

प्रतिवादी संख्या 03,04, 06:- श्री एम0एस0 चु

प्रतिवादी संख्या 05:- अनुपस्थित

पेरोकार सरकार

स्थिति:-

कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
जिला भीलवाड़ा (राज.)

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 27.08.2021


वादी ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सल्यावड़ी पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 63 में अंकित आराजी संख्या 1123 रकबा 0.80 हे0, 1124 रकबा 0.23 हे0, 1125 रकबा 0.70 हे0, 1126 रकबा 0.02 हे0 आचा, 1127 रकबा 0.05 हे0, 1128 रकबा 0.32 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.12 हे0 भूमि स्थित है।

उक्त अंकित आराजीयात में मुझ वादी का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या एक लगायत 6 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 12 अपने - अपने हिस्से अनुसार अलग-अलग काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं।

यह कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व खाता आपस में शामिल दर्ज रेकार्ड है। वे अपने माफिक रेकार्ड हिस्से पर काबिज हैं लेकिन अपने हिस्से को उन्नत बनाने, डवलप करने, लगान का विभाजन करने, तथा कृषि कार्यों में मरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्णित आराजी में मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर वादी खाते में दर्ज अपने 1/3 हिस्से का स्वतंत्र संयुक्त राजस्व खाता रेवेन्यू रेकार्ड में खोले जाने एवं स्वतंत्र कब्जा दिलाये जाने की दिहाई बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमायी जावें।

अतः सादर प्रार्थना है कि ग्राम सल्यावड़ी पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 63 में अंकित आराजी संख्या 1123 रकबा 0.80 हे0, 1124 रकबा 0.23 हे0, 1125 रकबा 0.70 हे0, 1126 रकबा 0.02 हे0 आचा, 1127 रकबा 0.05 हे0, 1128 रकबा 0.32 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.12 हे0 भूमि का मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन करवाया जाकर मुझ वादी के निहित 1/3 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यू रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

प्रकरण विधिवत दिनांक 04.07.2018 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन दिये गये जिसकी अनुपालना जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद वादी के अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 13 पैरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होना अंकित कर जवाब देना नहीं करने से जवाब देही बन्द की गई। प्रतिवादीगण संख्या 3,4,6 द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण संख्या 3,4,6 के 1/3 हिस्से मृतक खातेदार मोहम्मद के वारिसान होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का है जिससे हम प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा स्वतंत्र खाता खुलवाया जावें।

  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
मगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1,2 तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 की ओर से प्रतिवादपत्र काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा अंकित आराजियात में हम प्रतिवादी संख्या एक व 2 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का विभाजन मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार स्वतंत्र खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खुलवाया जावे।

उक्तानुसार प्राप्त जवाब व काउन्टर क्लेम पर निम्नानुसार तनकी कायम की गई:-

1. आया की वादी वाके ग्राम सल्यावड़ी वादपत्र कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात का राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्से व कब्जेनुसार कराने का अधिकारी है।

बजिम्मे वादीगण

2. आया कि प्रतिवादीगण वाद वर्णित कृषि आराजियात में अपने हिस्से एवं कब्जेनुसार विभाजन कराने के अधिकारी है।

बजिम्मे प्रतिवादीगण

### 3. अनुतोष?

अधीवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करके सीधी बहस करनी चाही जिस पर प्रतिवादीगण अधीवक्ता ने भी सहमती जताई बहस उभयपक्ष सुनी गई अधीवक्तावादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये चालु जमाबंदी अनुसार खाते में दर्ज हिस्से व कब्जे के अधार पर वादपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया। प्रतिवादीगण के अधीवक्ता ने कब्जे व हिस्सेनुसार वादपत्र स्वीकार करने पर सहमती जाहीर की।

वैत पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर गौर किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम सल्यावड़ी पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 63 में अंकित आराजी संख्या 1123 रकबा 0.80 हे0, 1124 रकबा 0.23 हे0, 1125 रकबा 0.70 हे0, 1126 रकबा 0.02 हे0 आचा, 1127 रकबा 0.05 हे0, 1128 रकबा 0.32 हे0 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 2.12 हे0 भूमि में से आराजी संख्या 1126 रकबा 0.02 हे0 आचा को शामिल करी दर्ज रखा जाकर शेष आराजियात का मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन करवाया जाकर वादी के निहित 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 3,4,6 के 1/3 हिस्से मृतक खातेदार रजाक मोहम्मद के वारिसान होने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञापति बहक वादी प्रतिवादीगण के कब्जे एवं हिस्से अनुसार नवीन जमाबंदी को ध्यान में रखते हुए खोला जाना उचित है अतः

By  
सहायक कलक्टर  
(सप्लेण्ड अधिकारी)  
सगापुर जिला भीलगाडा (राज.)

—: आदेश :-

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम सल्यावड़ी स्टवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 63 में अंकित आराजी संख्या 1123 रकबा 0.80 हे0, 1124 रकबा 0.23 हे0, 1125 रकबा 0.70 हे0, 1126 रकबा 0.02 हे0 आचा, 1127 रकबा 0.05 हे0, 1128 रकबा 0.32 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.12 हे0 भूमि में से आराजी संख्या 1126 रकबा 0.02 हे0 आचा को शामिलती दर्ज रखा जाकर शेष आराजियात का मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन करवाया जाकर वादी के निहित 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 3,4,6 के 1/3 हिस्से मृतक खातेदार रजाक मोहम्मद के वारिसान होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण का स्वतंत्र कब्जा दिलाया जाकर उसका राजस्व खाता राजस्व रेकार्ड में कलन से नवीन जमाबंदी अनुसार कायम करते हुये कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश करें। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा को जारी हो जावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव पेश होने दिनांक 22.10.2021 को पेश हो।

दिनांक 27.08.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



रजि.सु.वा.क. (सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर 4)

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर जिला— भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी — राजेश सुवालका

प्रकरण संख्या :-103/2018 (2018/00462)  
अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

दर्ज दिनांक 04.07.2018

शीर्षक

हुसुनुदीन वल्द नूर मोहम्मद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. गुलाब नबी वल्द गफुर अहमद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. लाल मोहम्मद वल्द गफुर अहमद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती महमूदा बानू पुत्री गफुर अहमद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 06, रायपुर रोड़ गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. श्रीमती मरियम बानू पुत्री गफुर अहमद मुसलमान पत्नी मुनीर मोहम्मद मेवाती निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा हाल मुकाम डाणियों की कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
5. श्रीमती जन्नत बानू पुत्री गफुर अहमद पत्नी सलीम मोहम्मद मुसलमान निवासी आतर मजरा बड़ी सादड़ी तहसील सादड़ी जिला चितौड़गढ़
6. श्रीमती संजिदा बानू पुत्री गफुर अहमद पत्नि जाकिर हुसैन मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा हाल मुकाम डाणियों की कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
7. लियाकत अली वल्द सत्तार मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. बशीर मोहम्मद वल्द सत्तार मोहम्मद मुसलमान निवासी निवासी वार्ड नं0 15, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. श्रीमती ताहिरा बेगम पुत्री सत्तार मोहम्मद मुसलमान पत्नि अहमद मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम दड़ोली तहसील डबोक जिला उदयपुर
10. श्रीमती हसीना बेगम पुत्री सत्तार मोहम्मद पत्नि रफीक मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15 गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम बिगोद तहसील जिला भीलवाड़ा।
11. श्रीमती आमना बेगम पुत्री सत्तार मोहम्मद मुसलमान पत्नि मोहिनुदीन मुसलमान निवासी करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. श्रीमती सरीफन बेगम पत्नी सत्तार मोहम्मद मुसलमान निवासी वार्ड नं0 15, गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

अवस्थिति:-

अधिवक्ता वादी:- श्री जगदीश चन्द्र व्यास

प्रतिवादीगण सं0 01, 02, 07 लगायत 12 :- श्री यासीन मोहम्मद पठान

प्रतिवादी संख्या 03,04, 06:- श्री एम0एस0चुण्डावत

प्रतिवादी संख्या 05:- अनुपस्थित

पेरोकार सरकार 1.

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

:: निर्णय ::

दिनांक 27.08.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अदालत हाजा व बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री जगदीश चन्द्र व्यास अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री यासीन मो० पठान एवं एम०ए० चुण्डावत, मिनजानिब मुदई व पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम सल्यावड़ी पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 63 में अंकित आराजी संख्या 1123 रकबा 0.80 हे०, 1124 रकबा 0.23 हे०, 1125 रकबा 0.70 हे०, 1126 रकबा 0.02 हे० आचा, 1127 रकबा 0.05 हे०, 1128 रकबा 0.32 हे० कुल किता 6 कुल रकबा 2.12 हे० भूमि में से आराजी संख्या 1126 रकबा 0.02 हे० आचा को शामिलती दर्ज रखा जाकर शेष आराजियात का मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन करवाया जाकर वादी के निहित 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण संख्या 3,4,6 के 1/3 हिस्से मृतक खातेदार रजाक मोहम्मद के वारिसान होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण का स्वतंत्र कब्जा दिलाया जाकर उसका राजस्व खाता राजस्व रेकार्ड में अलग से नवीन जमाबंदी अनुसार काम करते हुये कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के तहत करें।

नैज ×××× मुबलिग×××× बावत××××खर्चा इस मुकदमें में मय सूद शरह×××× को कीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक×××× अदा करे।

मुदत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.08.2021 को प्राथमिक डिक्री



(राजेश सुवालका)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर 2.